42–(08)–06–2021

पटना में दिनांक–05 जनवरी, 2021 मंगलवार को अपराह्न 4:30 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

गृह विभाग
(विशेष शाखा)

1.	बिहार पुलिस की भांति बिहार गृह रक्षा वाहिनी के वैतनिक सिपाही, अधिनायक एवं अधिनायक ग्रेड–1 को क्रमशः पी०बी०–1 + ग्रेड पे 2000, पी०बी०–1 + ग्रेड पे 2400 एवं पी०बी०–1 + ग्रेड पे 2800 का दिनांक–01.01.2006 से वैचारिक तथा दिनांक–21.01.2010 से वास्तविक लाभ स्वीकृत किए जाने के संबंध में।	1. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

2.	बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम के अन्तर्गत नवनियोजित संविदा कर्मियों के पारिश्रमिकी/मानदेय के भुगतान हेतु राज्य योजना–मद में योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा अनुमोदित अतिरिक्त योजना उद्व्यय के आलोक में विपत्र कोड–40–2029001020101 के ईकाई कोड–28 02 संविदा सेवाएँ मद में बिहार आकस्मिकता निधि से राशि–17866.590 लाख रूपये (एक सौ अठहत्तर करोड़ छियासठ लाख उनसठ हजार रूपये मात्र) अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में।	2. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

3.	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के न्यूनतम मापदण्डों को दृष्टिपथ रखते हुए राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल, पटना में 100 छात्रों के नामांकन हेतु कार्यालय एवं 14 विभागों में गैर शैक्षणिक कर्मियों के कुल–26 पदों का सृजन के संबंध में।	3. स्वीकृत।

गृह विभाग

(अभियोजन निदेशालय)

4.	क्षेत्रीय जिला अभियोजन कार्यालयों एवं अनुमंडल अभियोजन कार्यालयों के लिए विभिन्न कोटि के कुल 143 (एक सौ तैंतालीस) अतिरिक्त पदों के सृजन एवं पुनर्गठन की स्वीकृति के संबंध में।	**4. स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

5.	केन्द्र प्रायोजित Smart City Mission योजना के अन्तर्गत भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर एवं बिहारशरीफ शहर को Smart City के रूप में विकसित करने हेतु गठित SPV कम्पनी (स्मार्ट सिटी लि० कम्पनी) के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अध्यक्ष पद पर संबंधित प्रमंडलों के प्रमंडलीय आयुक्त के स्थान पर प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार को नामित किये जाने की स्वीकृति।	**5. स्वीकृत।**

परिवहन विभाग

6.	कोरोना महामारी (Covid-19) के संक्रमण के रोकथाम हेतु विभिन्न चरणों में लागू लॉकडाउन के आलोक में बिहार राज्य में निबंधित व्यावसायिक पैसेन्जर वाहन एवं बिहार राज्य में स्थायी परमिट के आधार पर परिचालित एवं पथकर देने वाले व्यावसायिक पैसेन्जर वाहन के वाहन स्वामियों को दिनांक–06.07.2020 से 06.09.2020 तक कुल 63 दिनों के देय पथकर की माफी या समायोजन किये जाने तथा सभी प्रकार के निबंधित वाहनों को दिनांक– 21.03.2020 से 31.03.2021 तक की अवधि में पथकर पर देय अर्थदण्ड को माफ करने के संबंध में।	**6. स्वीकृत।**

पंचायती राज विभाग

7.	वर्तमान राज्य वित्त आयोग (षष्ठम् राज्य वित्त आयोग) की अनुशंसा की प्रत्याशा में वित्तीय वर्ष 2020–21 में ग्राम पंचायतों के कार्यपालक सहायकों के मानदेय के भुगतान हेतु ₹1,30,00,00,000 (एक अरब तीस करोड़ रूपये) मात्र की स्वीकृति के संबंध में।	**7. स्वीकृत।**

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

8.	श्री उपेन्द्र नाथ पाण्डेय, विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को उनकी समाप्त हो रही संविदा अवधि की तिथि 31.01.2021 के पश्चात् उसी पद के विरूद्ध सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–10000, दिनांक–10.07.2015 की कंडिका–3(i) के परन्तुक को शिथिल करते हुए संकल्प के अन्य प्रावधानों के आलोक में योगदान की तिथि से अगले 01 (एक) वर्ष या नियमित पदस्थापन होने तक (जो पहले हो) के लिए नियोजन अवधि का विस्तार करने के संबंध में।	**8. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

9.	सुशासन के कार्यक्रम (2020–2025) के अन्तर्गत आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय–2 (2020–2025) में शामिल ''सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा'' अन्तर्गत हृदय में छेद के साथ जन्में बच्चों के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था हेतु नई योजना ''बाल हृदय योजना'' की स्वीकृति।	**9.**	**स्वीकृत।**